

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/12/2024

अ.सं.-संबं0-6144/2024-1561/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-27.11.2024 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता प्राप्त गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय को सत्र-2023-24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Nursing College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Gautam Institute of Nursing & Paramedics, Vill-Bhagan Bigha, Po-Sohsarai, Nalanda- 803118	M.Sc. Nursing	50

नियम एवं शर्तें:-

- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत शर्त प्रदान की जा रही है।
- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2024-25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
- महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

9.3.2024

10. महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

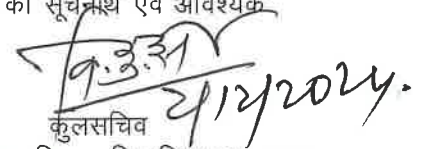
कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024-1561/ पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि—प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित फार्मसी महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024-1561/ पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि—माननीय मुख्यमंत्री, बिहार—सह—कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024-1561/ पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि—डीन(अकादमिक)/डीन(नर्सिंग)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना